न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 237/2024

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1.जनकसिंह 2.अर्जुनसिंह पि.जालमसिंह
जाति राजपूत, निवासी चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण :– **श्री फताराम गोदारा**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 06.09.2024

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1210/651 रकबा 121.18 बीघा का आया हुआ है।

उक्त मूल खसरा 1210/651 में से चौहटन से बाखासर जाने वाली डामर सडक का निर्माण किया गया उस वक्त वादग्रस्त भूमि दो भागों में विभाजित हो गई जिसमें लट्ठा ट्रेस में नक्शा दो भागों में विभाजित कर [illegible] की तरमीम कर दी गई जबकि जमाबन्दी में आज तक एक ही [illegible] प्रार्थीगण जमाबन्दी में बट्टा नम्बर दिया जाकर नवसृजित खसरा इन्द्राज करवाने का अधिकार है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में मौके पर रह[illegible] हुआ, बाड इत्यादि [illegible] है। इस कारण प्रार्थीगण जमाबन्दी में बट्टा नम्बर दिया जाकर नवसृजित खसरा इन्द्राज दुरस्त का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी परिशिष्ट 'अ' में दर्शितानुसार बट्टा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.19 12:19:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

...ा जाकर नया खसरा दुरस्त करने का आदेश फरमावे । इस हेतु आवेदन पेश कर ...रस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपरोक्त दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया । तहसीलदार चौहटन से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । तहसीलदार चौहटन ने अपनी रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट ब अनुसार दुरस्ती हेतु प्रस्तावित किया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा चौहटन के खसरा सं. 1210/651 रकबा 121.18 बीघा भूमि का दुरस्तीकरण तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट के परिशिष्ट "ब" अनुसार करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवाय अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.19 12:19:46 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट B

नक्शा किश्तवार

ग्रा – चौहटन

पैमाना 40 = 1 जरीब

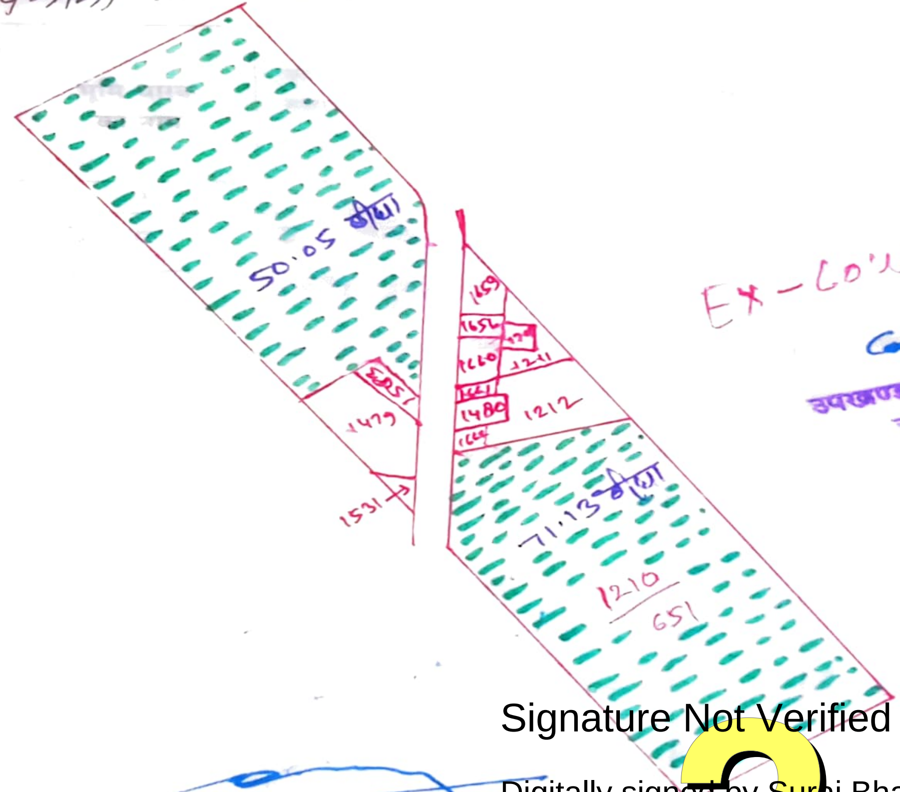

Ex-Count

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

ILR – चौहटन

तहसीलदार चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.19 12:19:46 IST
Reason: SelfAttested

अजीतसिंह   जोगसिंह

(अर्जुनसिंह)